संख्या– 1910 / 9–1–16–473सा / 12

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनु0–1 लखनऊः दिनॉक 28 जुलाई, 2016

विषयः– नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को धुलाई, झाडू एवं सफाई भत्ते की दरों को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5/–2–सा/117/मांग पत्र/टी0सी0/2015 दिनांक 11.01.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को शासनादेश संख्या–4622/9–1–89–81 सा/88 दिनांक 05.09.1989 एवं शासनादेश संख्या–8210/9–1–1986 दिनांक 20 मई, 1987 द्वारा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों/सफाई कर्मचारियों को स्वीकृत धुलाई भत्ते, झाडू भत्ता, एवं सफाई भत्ते की दरो को वेतन समिति (2008) सोलहवें प्रतिवेदन में राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के विभिन्न भत्तों के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के आधार पर, अगले प्रस्तर–2 व 3 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

धुलाई भत्ता

1	वर्तमान दर	संशोधित दर
2	रू0–12 (प्रति माह)	रू0–40(प्रति माह)

सफाई भत्ता

1	वर्तमान दर	संशोधित दर
2	रू0–25 (प्रति माह)	रू0–90 (प्रति माह) सफाई कर्मचारियों के लिए

झाडू भत्ता

1	वर्तमान दर	संशोधित दर
2	रू0–20 (प्रति माह)	रू0–70 (प्रति माह)

2 उक्त संशोधित भत्ते मात्र उन्हीं पदों/संवर्गो को देय होंगे जिन्हें यह भत्ते वर्तमान में मिल रहे हैं और संशोधनों के फलस्वरूप कोई नये पद/संवर्ग इसमें सम्मिलित नही होंगे।

3 उक्त संशोधन के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित निकाय स्वंय के संसाधनों से वहन करेगें और इसके लिये राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त सहायता संबंधित निकायों को नही दी जायेगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–8–1706/दस/16 दिनांक 25, जुलाई, 1016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
4. समस्त नगर आयुक्त नगर निगम उ0प्र0।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद उ0प्र0 द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0।
6. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत उ0प्र0 द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।